छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
शुक्रवार, दिनांक 18 फरवरी, 2011
(माघ-29, शक संवत् 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02 , 04 से 13 एवं 15, 16 (कुल 14) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 03 एवं 14 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य महंत रामसुंदर दास एवं डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी अनुपस्थित रहे।

प्रश्न संख्या 07 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री गुरु रूद्रकुमार के स्थान पर श्री लेखराम साहू, सदस्य अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 10 तारांकित एवं 32 अंतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 02 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

3. दिसम्बर, 2010 सत्र के समयपूर्व सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि की मुद्रित प्रश्नोत्तरी का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणा पर सचिव, विधान सभा द्वारा दिसम्बर, 2010 के समयपूर्व सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि की मुद्रित प्रश्नोत्तरी को पटल पर रखा गया।

4. नियम 267-क के अधीन दिसम्बर, 2010 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार नियम 267-क के अधीन दिसम्बर, 2010 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा गया।

5. सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री बद्रीधर दीवान

(2) श्री धर्मजीत सिंह

(3) डॉ.शक्राजीत नायक

(4) डॉ.हरिदास भारद्वाज

(5) श्री देवजी पटेल

6. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बद्तर होने संबंधी 37 सदस्यों की प्राप्त स्थगन सूचनाओं में से सर्वप्रथम प्राप्त श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य की सूचना पढ़ी गई।

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्ता पर चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

सर्वश्री मोहम्मद अकबर, परेश बागबाहरा, (डॉ.) शक्राजीत नायक, रामपुकार सिंह, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, अमितेष शुक्ल, (डॉ.) शिवकुमार डहरिया, टी.एस.सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, भजन सिंह निरंकारी, अग्नि चंद्राकर, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, श्री रविन्द्र चौबे।

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री द्वारा संक्षिप्त उत्तर दिया गया।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची में दर्ज समस्त कार्य पूर्ण होने तक
सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्यों के विचार तथा शासन का उत्तर सुनने के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

7. बहिर्गमन

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य न किए जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

8. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री नंदकुमार पटेल, डॉ.शक्राजीत नायक, श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने प्रदेश में पत्रकारों की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री विजय बघेल, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

(2) श्री संतोष बाफना, सदस्य ने बस्तर जिले में धान खरीदी में व्याप्त अव्यवस्था की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री पुन्नूलाल मोहिले, खाद्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

9. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री देवजी पटेल
(2) श्री परेश बागबाहरा
(3) श्री रविन्द्र चौबे

10. वर्ष 2010-2011 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने वर्ष 2010-2011 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

उपाध्यक्ष महोदय ने अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चाऔर मतदान के लिए दिनांक 21 फरवरी, 2011 की तिथि निर्धारित की।

11. अशासकीय संकल्प

(1) यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "रायपुर से आरंग, तुमगांव, पटेवा, झलप, पिथौरा, बसना, सरायपाली, सोहेला होते हुए बरगढ़ तक रेल लाईन बनाई जाय।"

डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री देवजी पटेल, परेश बागबाहरा।

संससदीय कार्य मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(2) माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्य सूची के पद क्रमांक 7 के उप पद 2 में शामिल अशासकीय संकल्प के प्रस्तुतकर्त्ता सदस्य महंत रामसुंदर दास द्वारा अनुरोध किया गया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत संकल्प को आगामी अशासकीय कार्य दिवस में लिया जावे।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(3) यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "कांगेर घाटी नेशनल पार्क में स्थित कोटमसर गुफा को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाय।"

श्री संतोष बाफना, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री भीमा मंडावी, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर।

वन मंत्री श्री विक्रम उसेंडी ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.27 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनाँक 21 फरवरी, 2011 (फाल्गुन 2, शक संवत् 1932) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा